

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :-138/25

तारीख दायर 6/6/25

शंकरलाल पुत्र मोडा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बैरीसाल

.....प्रार्थी

बनाम

1. जीतमल पुत्र किशना जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बैरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. भंवरलाल पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. घनश्याम पुत्र गंगाराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. दिनेश पुत्र गोपाललाल जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. विरेन्द्र पुत्र रघुनाथ जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी बड़वा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 4/7/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 382 पर अंकित आराजी संख्या 1228/37, 41 कुल किता 2 रकबा 0.4370 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौंसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उक्त मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 382 पर अंकित आराजी संख्या 1228/37, 41 कुल किता 2 रकबा 0.4370 हैक्टेयर भूमि बशामलात पडौंसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 138/25

प्रेषिति :-

तारीख दायर 6/6/25

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 138/25 पत्थरगढ़ी बाबत।

शंकरलाल पुत्र मोडा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बेरीसाल मस

.....प्रार्थी

बनाम

1. जीतमल पुत्र किशना जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. भंवरलाल पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. घनश्याम पुत्र गंगाराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. दिनेश पुत्र गोपाललाल जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. विरेन्द्र पुत्र रघुनाथ जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी बड़वा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 382 पर अंकित आराजी संख्या 1228/37, 41 कुल किता 2 रकबा 0.4370 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं कमिश्नर फीस 500/- रुपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ